न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/226

पन्ना लाल आुय 70 वर्ष आत्मज स्वर्गीय कान्हा जाति बारेठ निवासी ग्रमा भैरूपुरा औझा तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. श्रीमती सीता बाई पत्नी स्व0 पन्ना लाल आयु 65 वर्ष ।
2. दुर्गालाल पुत्र स्व0 पन्ना लाल आयु 46 वर्ष ।
3. गिरिराज पुत्र स्व0 पन्ना लाल आयु 26 वर्ष ।
4. शिवराज पुत्र मोडू लाल आयु 35 वर्ष ।
5. श्रीमती इन्द्रा बाई पुत्री स्व0 पन्ना लाल आयु 40 वर्ष ।
6. श्रीमती कलावती पुत्री स्व0 पन्ना लाल आयु 35 वर्ष सभी जाति बारेठ सभी निवासीगण ग्राम भैरूपुरा ओझा तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. स्व0 जगन्नाथ आत्मज भैरूजी माली निवीस भैरूपुरा ओझा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 1/1. मोहन लाल आयु 45 वर्ष आत्मज स्व0 जगन्नाथ माली
   - 1/2. ओम प्रकाश आयु 39 वर्ष आत्मज स्व0 जगन्नाथ माली ।
   - 1/3. श्रीमती धन्नी आयु 52 वर्ष पुत्री स्व0 जगन्नाथ माली सभी निवासीगण भैरूपुरा ओझा तहसील एवं जिला बून्दी ।
   - 1/4. श्रीमती गणेशी बाई आुय 49 वर्ष पुत्री स्व0 जगन्नाथ माली पत्नी कन्हैया लाल निवासी ग्राम मुवासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   - 1/5. श्रीमती राममूर्ति आयु 28 वर्ष पुत्री स्व0 जगन्नाथ पत्नी हनुमान ।
   - 1/6. श्रीमती बादाम बाई आुय 65 वर्ष बेवा स्व0 जगन्नाथ माली निवासीगण ग्राम भैरूपुरा ओझा तहसील व जिला बून्दी ।
   - 1/7. स्वर्गीय मोरपाल आत्मज स्व0 जगन्नाथ (मृतक) जरिये कायममुकामान –
   - 1/7/1. श्रीमती कान्ता पत्नी मोरपाल माली निवासी भैरूपुरा ओझा ।
   - 1/7/2. अजय आयु 11 वर्ष आत्मज स्वर्गीय मोरपाल निवासी भैरूपुरा ओझा जरिये सरंक्षक माता श्रीमती कान्ता ।
   - 1/7/3. कुमारी पूजा आयु 06 वर्ष पुत्री स्व0 मोरपाल माली निवासी भैरूपुरा ओझा जरिये सरंक्षक माता श्रीमती कान्ता बेवा मोरपाल ।
2. सत्यनारायण आत्मज बद्रीलाल जाति बारेठ निवासी ग्राम भैरूपुरा ओझा तहसील व जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 15/227

स्वर्गीय रामभरोस आत्मज श्री चुन्नीलाल जाति तेली निवासी ग्राम भैरूपुरा ओझा तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1/1. श्रीमती धनकंवर बेवा स्व0 रामभरोस आयु 60 वर्ष जाति तेली निवासी ग्राम भैरूपुरा ओझा तहसील व जिला बून्दी ।

1/2. श्रीमती शम्भू कंवर पुत्री स्व0 रामभरोस आयु 37 वर्ष पत्नी श्री भैरूलाल हाल निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
1/3. शिवराज आत्मज स्व0 रामभरोस आयु 34 वर्ष जाति तेली निवासी ग्राम भैरूपुरा ओझा तहसील व जिला बून्दी ।
1/4. सत्यप्रकाश आत्मज स्व0 रामभरोस आयु 29 वर्ष जाति तेली निवासी ग्राम भैरूपुरा ओझा तहसील व जिला बून्दी ।
1/5. श्रीमती ममता पुत्री स्व0 रामभरोस आयु 34 वर्ष पत्नी नरेन्द्र जाति तेली निवासी केशवपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. स्व0 जगन्नाथ आत्मज भैरूजी माली निवीस भैरूपुरा ओझा (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. मोहन लाल आयु 45 वर्ष आत्मज स्व0 जगन्नाथ माली
   1/2. ओम प्रकाश आयु 39 वर्ष आत्मज स्व0 जगन्नाथ माली ।
   1/3. श्रीमती धन्नी आयु 52 वर्ष पुत्री स्व0 जगन्नाथ माली सभी निवासीगण भैरूपुरा ओझा तहसील एवं जिला बून्दी ।
   1/4. श्रीमती गणेशी बाई आुय 49 वर्ष पुत्री स्व0 जगन्नाथ माली पत्नी कन्हैया लाल निवासी ग्राम मुवासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/5. श्रीमती राममूर्ति आयु 28 वर्ष पुत्री स्व0 जगन्नाथ पत्नी हनुमान ।
   1/6. श्रीमती बादाम बाई आुय 65 वर्ष बेवा स्व0 जगन्नाथ माली निवासीगण ग्राम भैरूपुरा ओझा तहसील व जिला बून्दी ।
   1/7. स्वर्गीय मोरपाल आत्मज स्व0 जगन्नाथ (मृतक) जरिये कायममुकामान —
   1/7/1. श्रीमती कान्ता पत्नी मोरपाल माली निवासी भैरूपुरा ओझा ।
   1/7/2. अजय आयु 11 वर्ष आत्मज स्वर्गीय मोरपाल निवासी भैरूपुरा ओझा जरिये सरंक्षक माता श्रीमती कान्ता ।
   1/7/3. कुमारी पूजा आयु 06 वर्ष पुत्री स्व0 मोरपाल माली निवासी भैरूपुरा ओझा जरिये सरंक्षक माता श्रीमती कान्ता बेवा मोरपाल ।
2. सत्यनारायण आत्मज बद्रीलाल जाति बारेठ निवासी ग्राम भैरूपुरा ओझा तहसील व जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बृजराज शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री शिव तोषनीवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में।

निर्णय दिनांकः 31.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मृतक जगन्नाथ ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद संख्या 152/2012 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भैरूपुरा तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 301 रकबा 0.6 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के कब्जे एवं स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकार की भूमि है । वादी एक वृद्ध व्यक्ति तथा प्रतिवादीगण वादी की वृद्धावस्था का लाभ उठाकर वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है ।

4. अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे और यदि दौराने वाद उक्त भूमि पर कब्जा कर लें तो उन्हें उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे ।

5. इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मृतक जगन्नाथ ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या 142/2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भैरूपुरा तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 303 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के कब्जे, स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकार की भूमि है । वादी एक वृद्ध व्यक्ति तथा प्रतिवादीगण वादी की वृद्धावस्था का लाभ उठाकर वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है और उन्होंने कब्जा करने की नियत से वादी की भूमि पर लगे बम्बूल के 21 पेड काट लिये इस प्रकार प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं।

6. अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे और वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनरांक 22.06.2015 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत दोनों वादों का स्वीकार करते हुए दावा वादी डिक्री कर दिये ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने उक्त दोनों अलग–अलग अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त करने का निवेदन किया ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने दोनों वाद अन्तर्गत धारा 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । दावा संख्या 142/2012 अपीलान्टगण के पति रामभरोस के खिलाफ पेश किया गया और दावा संख्या 152/2012 अपीलान्टगण के पति/पिता पन्ना लाल एवं सत्यनारायण के खिलाफ पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सीपीसी की पालना करते हुए दोनों दावों को लोक अदालत में डिक्री किया है । अपील संख्या 15/227 से सम्बन्धित दावा वादी के कायममुकामान के प्रार्थना पत्र के क्रम में संशोधित उनवान पेश करने के लिए लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब कर आगामी तारीख कोर्ट कैम्प के लिए दी गई । पक्षकारों एवं उनके अभिभाषक को कोई सूचना नहीं दी गई कोर्ट कैम्प में बिना पक्षकारों की उपस्थिति के मृतक वादी एवं प्रतिवादी के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना दावा डिक्री कर दिया । मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट विधिक रूप 62 वर्ष से काबिज है ।

11. अपील संख्या 15/226 से सम्बन्धित प्रकरण में भी पत्रावली वादी की मृत्यु के बाद कायम मुकामान के प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में बिना पक्षकारान की उपस्थिति के बिना कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टगण का कब्जा है । दोनों ही निर्णय विधि–विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाये जावें । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2017 (1) पेज 415, 2011 (3) डीएनजे पेज 1188, आरबीजे 1998 पेज 490 उद्धरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि दोनों ही प्रकरणों में वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट के खाते की है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त करके विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 बहाल रखा जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । अपील संख्या 15/226 से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रतिवादी क्रम 2 की तलबी में लम्बित थी । इसी दौरान वादी के द्वारा कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी बहस में पत्रावली लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । पटवारी हल्का की एक रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है जिसमें यह अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 301 रकबा 0.06 पर पन्ना लाल आत्मज कान्हा, शिवराज आत्मज मोडूलाल व सत्यनारायण आत्मज बद्रीलाल ने घर व बाडा बनाए हुए हैं इस आराजी पर इनका अतिक्रमण है ।

14. अपील संख्या 15/227 से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया और इस पत्रावली में कायममुकामान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर संशोधित शीर्षक पेश करने का ओदश दिया था । इसे लोक अदाल में रखा गया और लोक अदालत में बिना पक्षकारों की उपस्थिति के पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी डिक्री किया गया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है । उक्त मौका रिपोर्ट में अंकित

किया है कि खसरा नम्बर 302 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 751 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.07 बीघा पर खातेदारान का कब्जा काश्त है खसरा नम्बर 303 रकबा 1.01 बीघा व 839/304 रकबा 0.01 बीघा पर शिवराज आत्मज रामभरोस का कब्जा होकर अतिक्रमण है ।

15. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की दोनों पत्रावलियों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि बिना सीपीसी की पालना किये लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राज़ीनामा पेश किया गया है । मृत पक्षकारान के कायममुकामान को भी रिकॉर्ड पर लिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो विधि –विरूद्ध है ।

16. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों पत्रावलियों में पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादी का नहीं वरन् प्रतिवादी का कब्जा बताया गया है ऐसी स्थिति में स्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । स्थायी निषेधाज्ञा उन्हीं परस्थितियों में दी जा सकती है जब दावा दायरी के दिनांक को खातेदार का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा हो । कब्जे के अभाव में खातेदार बेदखली का दावा ला सकता है । आरबीजे 1998 पेज 490 यहॉ चस्पा होती है । अतः दोनों प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 15/226 एवं अपील संख्या 15/227 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 प्रकरण संख्या 142/दावा/2012 व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 प्रकरण संख्या 152/दावा/2012 निर्णय दिनांक 22.06.2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक पक्षकारान के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर उनसे जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा